गणेश

बनाम

कर्नाटक राज्य व अन्य

आपराधिक अपील संख्या 586/2007

20 अगस्त 2008

डॉ अरिजीत पसायत और डॉ मुकुंदम शर्मा जे . जे.

दंड संहिता1860

धारा 143, 147, 148, 504, 324, 307 सपठित धारा 149 और धारा 302 सपठित धारा 149, 5 मुल्जिमान के विरूद्ध अभियोजन- पक्षकारों के मध्य दुश्मनी- चश्मदीद गवाहों द्वारा घटना का देखा जाना- विचारण न्यायालय द्वारा 6 मुल्जिमान को धारा 302 सपठित धारा 149 को छोड़ कर अन्य सभी में दोषसिद्ध किया गया- बाकी सभी मुल्जिमान को बरी किया- उच्च न्यायालय ने एक मुल्जिम को बरी किया और अभिनिर्धारित किया कि शेष बचे पांच धारा 302 सपठित धारा 149 आई पी सी में भी दण्ड के भागी है- अपील में अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है- चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य विश्वसनीय है- बडी संख्या में मुल्जिमान की दोषमुक्ति भरोसेमंद साक्ष्यों की साक्ष्य को नजरअंदाज करने का आधार नहीं हो सकता- जब अभियोजन साक्ष्य का एक भाग त्याज्य किया जाता है तो न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला है कि वह दोषमुक्त और दोषसिद्ध मुल्जिमान के बीच अंतर कर सके- एक में गलत सर्वव्यापी में गलत का नियम केवल सावधानी का नियम है।

अपीलार्थी सहित पच्चीस मुल्जिमान अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 504, 324, 307 सपठित धारा 149 तथा 302 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अभियोजित किए गए। अभियोजन के अनुसार आरोपी और शिकायतकर्ता पक्ष के मध्य तनावपूर्ण संबंद्ध के परिणाम स्वरूप आहत व उसके पुत्र पर हमला हुआ, हमले के पांच दिन बाद आहत ने दम तोड़ दिया। विचारण न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा कर छः मुल्जिमान को आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 149 आई पी सी के अलावा अन्य सभी आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया। राज्य ने अभियुक्तगण को धारा 302 सपठित धारा 149 आई पी सी में दोषमुक्त करने के विरूद्ध अपील दायर की। दोषसिद्ध अभियुक्तों ने भी अपनी दोषसिद्धि को निरस्त करने हेतु अपीले की। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि छः अभियुक्तगण में से पांच अभियुक्तगण धारा 302 सपठित धारा 149 भा.द.सं. के लिए दण्ड हेतु दायी थे यद्यपि एक मुल्जिम को दोषमुक्त किया गया इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गई। अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1. विश्वसनीय साक्ष्यों की साक्ष्य को इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बडी संख्या में सहअभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के एक भाग का अविश्वसनीय होने के आधार पर त्याज्य से किसी प्रकार की दोषसिद्धि नहीं हो सकती। न्यायालय के लिए यह हमेशा यह विकल्प खुला है कि वह उस अभियुक्त में जिसे बरी किया गया और उन अभियुक्त में जिन्हें दोषसिद्ध किया गया में अंतर कर सके। एक में गलत सर्वव्यापी में गलत केवल सावधानी का नियम है। अनाज को भूसे से एवं सच को झूठ से अलग करने के प्रयास करने होंगे जब अभियोजन प्रकरण को अपने स्वीकृत साक्ष्य से स्थापित करने से सफल होता है चाहे

भले एक भाग के रूप में ही, अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है यहां तक कि सहअभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त किया गया हो कि उसके विरूद्ध दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु समुचित साक्ष्य नहीं है। लेकिन जहां इस प्रकार की स्थिति है कि समुचित साक्ष्य अविश्वसनीय हो और इस हद तक सम्मिश्रित हो कि सच को झूठ से अलग न किया जा सके और उसको अलग करने की प्रक्रिया में एक नए केस को पुनर्गठित करना पडे।

मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई आर 1965 एस सी 202 गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य ए आई आर 1956 एस सी 460 और सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य 2003; एस सी सी 643 पर निर्भर था।

2. इस प्रभाव के लिए डॉक्टर का सबूत है कि मृत्यु चिकित्सकीय की साक्ष्य कि मृत्यु किसी चोट के परिणाम रूवरूप नहीं थी अपितु हृदयघात और टिटनस के परिणाम स्वरूप हुए स्वास रूकने के कारण थी, बहुत ही काल्पनिक उत्तर है। बयान गवाह 2, 7 और 3 की साक्ष्य अभियुक्तगण की भूमिका को स्पष्ट तौर पर स्थापित करती है और बयान गवाह 3 आहत साक्षी था। बयान गवाह 1, 3, 7 और 14 की साक्ष्य विश्वसनीय है इसलिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने सही रूप से अपीलार्थीगण को दोष सिद्ध किया है। जहां तक अभियुक्त 1 को दोषमुक्त किया गया है उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को अपास्त करने हेतु एवं दोषसिद्धि को अन्य मुल्जिमान के खिलाफ पुष्ट करने हेतु विस्तृत कारण दिए है। पैरा 12

न्यायिक निर्णय संदर्भ

ए आई आर 1965 एस सी 202, पैरा 09

ए आई आर 1956 एस सी 460, पैरा 11

2003 (7) एस सी सी 643, पैरा 11

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयन: आपराधिक अपील संख्या 586/2007

कर्नाटक उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 394/2001 व 1344/2000 में आदेश दिनांक 24.08.2005 के अंतिम निर्णय एवं आदेश से।

के वी विश्वनाथन, शेखर जी देवसा, रोहित पांडे, अपीलार्थी की ओर से दिनेश कुमार गर्ग, चिनमॉय खलडकर और एस के नंदी अपीलार्थी की ओर से

अनिल के मिश्रा, रोहेन सिंह, संजय आर हेगड़े, अमित क्र चावला, चिनमॉय खलादकर, एस के नंदी, राकेश के शर्मा और पी वी योगेश्वरन प्रत्यर्थीगण की ओर से

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधीश डॉ. अरिजित पसायत द्वारा पारित किया गया।

1. यह दोनों अपीलें, एक दूसरे से संबंधित है इसलिए एक ही निर्णय द्वारा इनका निस्तारण किया गया।

2. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 24.08.2005 द्वारा तीन अपीले निस्तारित की।

आपराधिक अपील 394/2001 कर्नाटक राज्य द्वारा धारा 302 सपठित धारा 149 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्ति के खिलाफ प्रस्तुत की अन्य अपील उन अभियुक्तगण द्वारा पेश की गई जिन्हे धारा 143, 148, 504 सपठित धारा 149, 324 सपठित धारा 149, 326 सपठित धारा 149, 307 सपठित धारा 149 भा.द.सं. के लिए दोषसिद्ध किया गया।

पच्चीस अभियुक्तगण का विचारण हुआ यद्यपि विचारण न्यायालय ने 6 अभियुक्तगण को ही दोषी माना और जिन्होंने आपराधिक अपील 1344/2000 और 1359/2000 दायर की और दूसरी अपील राज्य ने की जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया।

3. उच्च न्यायालय ने (ए1) एस होलीअप्पा को दोषमुक्त किया लेकिन पांच अन्य अभियुक्तगण को धारा 302 सपठित धारा 149 के लिए भी दोषसिद्ध किया। राज्य की अपील स्वीकार की गई और अभियुक्तगण की खारिज की गई।

4. यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब राज्य की अपील स्वीकार की गई तो अभियुक्तगण को धारा 302 सपठित धारा 149 भा.द.सं. में दोषसिद्ध किया गया।

5. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है:

अभियुक्तगण, आहतगण और मेटेरियल साक्षी सभी होलकर तालुका के गांव मल्हाडीहाली के रहने वाले हैं। अभियुक्त संख्या 1 और 4 भाई है। अभियुक्त संख्या 2 अभियुक्त संख्या 4 का पुत्र है। वहीं अभियुक्त संख्या 3 और 5 अभियुक्त संख्या 1 के पुत्रगण है। अभियुक्त संख्या 6 इन अभियुक्तगण के रिश्तेदार था। इसी तरीके से अभियोजन पक्ष से गवाह शिवकुमार (बयान गवाह 2) लोकेश (बयान गवाह 3) मुरथप्पा (बयान गवाह 7) केंचप्पा (मृतक) के पुत्र है। अभियुक्तगण और मृतक की सदस्यगण के बीच बिजली के खंबे को अभियुक्त की भूमि में खड़ा करने के संबंध में विवाद था जिसकी लाईन मृतक के बोरवेल के पास से होकर गुजर रही थी और मृतक के लिए लाभकारी थी जिसका अभियुक्तगण ने विरोध किया। इस दुर्भावना और शत्रुता के परिणाम स्वरूप मृतक और उसके परिवारजन पर दिनांक 02.10.1995 को हमला हुआ। उस दिन एक त्यौंहार था और गांव वालों द्वारा देवता का जूलूस निकाला गया, मृतक और उसके बच्चे भी जूलूस में शामिल हुए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार जब जूलूस डाकघर के पास पहुंचा जिसके बगल में अभियुक्तगण का मकान था, अभियुक्तगण ने अचानक मृतक व उसके बच्चों पर हमला बोल दिया। यह करीब शाम के साढ़े छः बजे की घटना थी। हमले के बाद मृतक केंचप्पा, बयान गवाह शिवकुमार और लोकेश को अस्पताल ले जाया गया था, उपचार के बावजूद केंचप्पा ने दिनांक 07.10.1995 को

अंतिम सांस ली। उसके बाद बयान गवाह 1 व मृतक के भतीजे ने होलकर पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दी, जिसपर बयान गवाह 25 मो. आरिफ, एस एच ओ, पुलिस स्टेशन होलकर ने केस नम्बर 290/95 अन्तर्गत धारा 143, 147, 148, 504, 324, 307 सपठित धारा 149 में 18 नामजद अभियुक्तगण व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज की और अनुसंधान शुरू किया। दिनांक 07.10.1995 को केंचप्पा की मृत्यु के बाद धारा 302 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता जोडी गई। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया। विचारण किया गया। 39 गवाह अभियोजन की तरफ से परीक्षित हुए। विचारण न्यायालय ने बड़ी संख्या में हुए चश्मदीद गवाहों की गवाही पर विश्वास करते हुए अभियुक्तगण को कई अपराधों में दोषसिद्ध माना लेकिन धारा 302 सपठित धारा 149 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया।

अपील में राज्य का प्राथमिक तर्क यह था कि अभिलेख पर आई साक्ष्य से ऐसा कोई संदेह शेष नहीं रह जाता कि धारा 302 सपठित धारा 149 भा.द.सं. स्पष्टतया लागू होने योग्य थी। अभियुक्तगण द्वारा अपील का विरोध इस आधार पर किया गया कि साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थी एवं अधिकांशतः साक्षी पक्षपाती थे और उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि व्यक्तियों द्वारा की गई अपील में कोई सार नहीं पाया और अभियोजन द्वारा की गई अपील को स्वीकार किया।

6. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के वकीलों ने दलील दी की चश्मदीद गवाह पी ड 2 और 3 की गवाही स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि वह संबंधित गवाह थे। यह स्वीकृत तथ्य है कि पक्षकारों के मध्य राजनितिक द्वेषता के कारण शत्रुता थी। तथाकथित गवाहों के परीक्षण में देरी हुई, यह कहा गया कि जब विचारण न्यायालय ने 19 अभियुक्तगण अभियुक्त संख्या 1 लगायत 5 तथा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 1 को बरी किया ऐसे में अन्यों की दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती।

अनुसंधान अधिकारी ने निष्पक्ष रूप से अनुसंधान नहीं किया इसलिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा शेष 5 अभियुक्तगण की दोषसिद्धि न्यायपूर्ण नहीं है। यह भी कहा गया कि मृत्यु का कारण हृदय गति रूकना था न कि चोटें जो इस घटना में आई थी, इसलिए धारा 302 भा.द.सं. लागू नहीं होती है।

7. इसके विपरीत राज्य की तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

8. इस प्रकरण में साक्षी बयान गवाह 2, 3, 7 और 13 की साक्ष्य को ही विचार किए जाने योग्य है। 39 साक्ष्यों में से बयान गवाह 1 लगायत 7, 12, 14, 15, 16, 27 लगायत 29, 31, 33 और 35 घटना के चश्मदीद साक्षी बताये गए। लेकिन विचारण के समय बयान गवाह 1 लगायत 3, 7, 14 और 15 के अलावा किसी ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया। पत्रावली पर आई साक्ष्य यह दर्शाती है कि बयान गवाह 2 और 3 साक्षी आहत/घायल थे इनकी गवाही महत्वपूर्ण है। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा इस बात को इंगित किया गया कि इन 5 अपीलार्थी द्वारा कोई भी प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया।

9. मासलती बनाम उत्तरप्रदेश राज्य ए आई आर 1965 एस सी 202 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया कि जहां पर भीड़ द्वारा जो कि एक विधिविरूद्ध जमाव के सदस्य हो, उस जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में हत्या का अपराध करने के लिए बढ़ती है उसमें प्रायः यह सम्भव नहीं होता कि साक्षी उस जमाव के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए कार्य को पूर्णतया या निश्चिततय वर्णन कर सके। यदि लोगों की एक बड़ी भीड़ जो कि हथियारों से लेस हो और आहत पर हमला करने को आतुर हो, जरूरी नहीं है कि उनमें सभी वास्तविक हमले में भाग लेवे। उदाहरण के लिए विधि विरूद्ध जमाव के विभिन्न सदस्यों द्वारा कई हथियार लाए जाते है, लेकिन

ऐसा प्रतीत होता है कि पिस्तोल प्रयोग की गई जो कि पांच व्यक्तियों को मारने के लिए पर्याप्त थी। यह अतार्किक होगा कि विधि विरूद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा अन्य हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, इन हथियारों के संबंध में कहानी रिजेक्ट की जानी चाहिए। इस प्रकार के गूढ़ प्रकरण में साक्ष्य का परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है लेकिन आपराधिक न्यायालयों को इस बाबत अपना सर्वोच्च प्रयत्न करना चाहिए और यह उनका कर्तव्य है कि साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करे और यह तय करे कि कौनसा हिस्सा सही और कौनसा गलत है।

यह सही है कि साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार एक अकेला भरोसेमंद साक्षी भी किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार आधा दर्जन अविश्वसनीय साक्ष्यों की साक्ष्य भी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन जहां पर आपराधिक न्यायालय किसी ऐसे प्रकरण को डील कर रहा है जहां अपराध में बहुत सारे अभियुक्तगण हो और बहुत सारे आहतगण हो, यह सही होगा कि दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए यह परीक्षण अपनाया जाना चाहिए कि दो या तीन या अधिक साक्ष्यों द्वारा घटना का समर्थन किया जाए जो घटना का सुसंगत विवरण दे। इस प्रकार परीक्षण यांत्रिक हो सकता है लेकिन इसे अतार्किक और अनुचित नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं है कि साक्ष्य की किस्म प्रभाव रखती है न कि साक्ष्यों की संख्या जो कि साक्ष्य दे रहे है। लेकिन कभी कभी यांत्रिक परीक्षण भी प्रयोग करना फायदेमंद होता है।

10. इस प्रकरण में यद्यपि बड़ी संख्या में सहअभियुक्तगण दोषमुक्त हुए है लेकिन यह विश्वसनीय साक्ष्यों को नजरअंदाज/त्याज्य करने का आधार नहीं हो सकता।

11. सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के एक भाग का अविश्वसनीय होने के आधार पर त्याज्य से

किसी प्रकार की दोषसिद्धि नहीं हो सकती। न्यायालय के लिए यह हमेशा यह विकल्प खुला है कि वह उस अभियुक्त में जिसे बरी किया गया और उन अभियुक्त में जिन्हें दोषसिद्ध किया गया में अंतर कर सके। (गुरूचरण सिंह बनाम पंजाब ए आई आर 1956 एस सी 460 और सूच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य 2003(7) एस सी सी 643) ''यूनो में फाल्सस, ओम्निबस में फाल्सस'' केवल सावधानी का एक नियम है। सूच्चा सिंह के मामले में जैसा कि न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि अनाज को भूसे से सत्य को झूठ से अलग करने का प्रयास करना होगा। जहां अभियोजन यह स्थापित करने में सफल हुआ हो, जहां अभियोजन अपना केस स्वीकृत साक्ष्य से स्थापित करने में समर्थ है चाहे भागिक रूप से, अभियुक्त दोषसिद्ध किया जा सकता है, चाहे सहअभियुक्त इस आधार पर बरी किए गए हो कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं थी। लेकिन जहां स्थिति ऐसी हो की सम्पूर्ण साक्ष्य ही अविश्वसनीय हो और सच और झूठ को अलग करना इतना असंभव हो कि वे इस प्रकार से समबंधित हो कि उन्हें अलग करने की प्रक्रिया में एक बिल्कुल नए मामले का पुनर्निमाण करना होगा।

12. डॉक्टर की इस राय पर जोर दिया गया कि मृत्यु का कारण चोट नहीं थी अपितु हृदयघात एवं टिटनस की वजह से श्वास रूकने से मृत्यु हुई थी। डॉक्टर की साक्ष्य एक परिकल्पनात्मक उत्तर है कि चोटे धारदार हथियार से कारित नहीं हुई थी। शिवकुमार बयान गवाह 2, मुरथप्पा बयान गवाह 7 और लोकेश बयान गवाह 3 स्पष्टतया अभियुक्तगण द्वारा किए गए कृत्य/भूमिका को स्थापित करते है तथा बयान गवाह 3 आहत/घायल साक्षी है। गणेश (ए 3) ने बयान गवाह 2 के उपर कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार किया, उसने कहा है कि अभियुक्त संख्या 4 ने बयान गवाह 2 पर दराती से हमला किया और उसके बाद उस पर हमला किया। बयान गवाह 1, 2, 3, 7, 14 की साक्ष्य विश्वसनीय है इसलिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को सही रूप से दोषसिद्ध किया है। जहां तक अभियुक्त ए 1 की

दोषमुक्ति का संबंध है तथा अन्य अभियुक्तगण की दोषसिद्धि को यथावत रखने का संबंध है उच्च न्यायालय ने विस्तृत कारण दिए है।

13. अपीले आधारहीन है और खारिज किए जाने योग्य है।

याचिकाए खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी डॉ सिम्पल शर्मा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।